UNIT First

"भारत" एक बहुआबादी वाला राष्ट्र है। यहाँ अनेक स्तरों पर विविधता प्राप्त होती है। भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा जिसे आधी आबादी के नाम से भी जाना जाता है, स्त्रियों की है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यह अत्यन्त हेय विषय है कि स्त्रियों को अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रारम्भ में ही स्त्री को दया और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है।

मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य यशोधरा में कहा है —

"अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी,
आँचल में दूध और आँखों में पानी"

लेकिन वर्तमान में आवश्यकता है कि लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

लिंग का अर्थ (Meaning of Gender)

9.00
मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है
10.00
स्त्री और पुरुष जिसे प्रारम्भिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है।
11.00
"लिंग" को व्याकरण में यह कहकर परिभाषित किया गया है कि- जिससे
12.00
किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं।

1.00
Gender- "Gender shows that a Noun
2.00
or a Pronoun is male or female."
3.00

4.00
लिंगीय विभेद से तात्पर्य
5.00
(Meaning of Gendered Bias) Distinction

23 Sunday

लिंगीय विभेद से तात्पर्य बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है। इस प्रकार "लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेद-भाव लिंगीय विभेद कहलाता है"।

(लिंगीय विभेद के कारण)
(Reasons of Gender Bias (Distinction))

लिंगीय विभेद आज ही नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह विभेद भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में चला आ रहा है।

विभेद कई प्रकार के होते है, जिनमे कुछ निम्न प्रकार है।

1. जातिगत विभेद
2. प्रजातीय विभेद
3. लिंगीय विभेद
4. भाषायी विभेद
5. रंगत विभेद
6. सांस्कृतिक विभेद
7. आर्थिक विभेद
8. स्थानगत विभेद

Important Calls ✓

Things to Do ✓

Meetings ✓

25 June 2019
Tuesday
Wk 26 • 176-189

उपर्युक्त सभी विभेद मानवता के लिए खतरा हैं। मनुष्य की एकता की स्थापना में ये सभी प्रकार के विभेद बाधक हैं। लेकिन लिंगीय विभेद के कारण बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है। तथा जन्म के बाद भी बालिकाओं को आजीवन लैंगिक विभेद का सामना करना पड़ता है।

UNESCO की Report के अनुसार —

भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष एक करोड़ तीस लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगीय विभेद कितनी भयावह अवस्था में पहुँच चुका है।

(1) मान्यताएँ तथा परम्पराएँ Beliefs & traditions

लिंगीय विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परम्पराओं का है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से पुण्य, नामक नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिण्डादि कार्य पुत्र के हाथ से

Important Calls	Things to Do	Meetings
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

सम्पन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी पुत्र को महत्व दिया जाता है और वंश को चलाने में भी पुरुष को ही प्रधान माना गया है।

इन मान्यताओं तथा परम्पराओं की बेड़ियों में हमारा भारतीय जनमानस चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित बुरी तरह से आबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों को महत्व दिया जाता है और कभी-कभी तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है।

अथर्ववेद —, इस वेद वर्णित आया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्त्रियों को अस्तित्व मान्यताओं, परम्पराओं और सुरक्षा की बलि चढ़ा दिया जाता है।

Important Calls ✓	Things to Do ✓	Meetings ✓
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

(२) संकीर्ण विचारधारा (Narrow Ideology)

बालक - बालिका में भेद का एक कारण लोगों की संकीर्ण (निम्न) विचारधारा है। लड़के माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वंश चलायेंगे, उन्हें पढ़ा-लिखा कर घर की उन्नति होगी।

वहीं लड़की के पैदा होने पर शोक का माहौल होता है। क्योंकि उसके लिए दहेज देना होगा। विवाह के लिये वर ढूंढना होगा और तब तक सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च करना होगा लोग बर्बादी समझते हैं।

वर्तमान में बालिकाओं ने उस संकीर्ण सोच और मिथकों को तोड़ने का कार्य किया है फिर भी बालिकाओं का कार्यक्षेत्र चूल्हे-चौके तक ही सीमित माना जाता है उनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किये जाने के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का महत्व कम आंका जाता है। जिससे लैंगिक भेद-भाव में वृद्धि होती है।

Important Calls ✓ | Things to Do ✓ | Meetings ✓

③ जागरूकता का अभाव (Lack of awareness)

जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेद-भाव उपजता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक-बालिकाओं की देख-रेख, शिक्षा तथा पोषणादि स्तरों पर भेद-भाव किया जाता है। वहीं जागरूक समाज में "बेटा-बेटी एक समान" के मंत्र का नकल करते हुए बेटियों का पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा स्त्रियों की भांति प्रदान की जाती है।

लैंगिक भेद-भाव के कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है। परिणामतः आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने से उनके प्रति लोगों के नजरिये में भी परिवर्तन नहीं होता और वे सदैव स्वयं को लड़कों से हीन मान बैठती हैं। इसलिए बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

Important Calls ✓ | Things to Do ✓ | Meetings ✓

(4) अशिक्षा Illiteracy (निरक्षरता)

लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अशिक्षित व्यक्ति, परिवार तथा समाज में चले आ रहे मिथकों और अन्धविश्वासों पर ही लोग कायम रहते है तथा बिना सोचे समझे उनका पालन करते रहते है।

यदि लड़कियों को समुचित प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किये जाये तो वे प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

शिक्षित व्यक्ति यह चिन्तन करता है कि यदि स्त्रियां नही होगी तो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व ही नही होगा। और शिक्षित व्यक्ति यह भी नित्यप्रति देखता है और अनुभव करता है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नही है। वे उनसे कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है। इस प्रकार लैंगिक विभेद अशिक्षा और अज्ञानता के परिणामस्वरूप भी होते है।

"निरक्षरता" का अर्थ है किसी विशिष्ट विषय में अज्ञानता या ज्ञान की कमी। Exp – एक व्यक्ति स्कूल जाता है लेकिन Computer को संचालित करने के बारे में वह नही जानता है- ऐसे व्यक्ति के पास Computer में कोई साक्षरता नही है और Computer शिक्षा में वह अशिक्षित माना जाता है।

Important Calls | Things to Do | Meetings

(5) आर्थिक तंगी Economic Crunch

भारत वर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को सन्तान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे उनके श्रम में हाथ बटायें और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बाँटने का कार्य करें। लेकिन लड़कियाँ न तो श्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाती हैं, न ही आर्थिक जिम्मेदारियों का वहन कर पाती हैं। अशिक्षित होने के कारण

लड़कियों को पराया धन समझकर रखते हैं माता-पिता। इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़का की कामना की जाती है। जिससे लैंगिक विभेद पनपता है।

(6) सरकारी उदासीनता (Government Apathy)

लिंगीय विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक कारक है। सरकार लिंग में भेद भाव करने वालों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं करती है और चोरी छुपे चिकित्सालयों और निजी क्लिनिक पर भ्रूण की जाँच तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अबाध रूप से चल रहा है। सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी आफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को

को समाप्त करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि करने का कार्य किया जाता है जिसमें लैंगिक भेद-भाव में वृद्धि होती है।

(7) सांस्कृतिक कुप्रथाएँ (Cultural Factors / Misdeeds)

भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष-प्रधान रही है। यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों, विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था।

भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञीय कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य ( ) और कुछ कार्य को तो स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है। और स्त्री का स्थान गौण। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री-पुरुष की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है।

(8) सामाजिक कुप्रथाएँ — Social practices OR Misdeeds

दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या - बाल-विवाह

(9) दोषपूर्ण - शिक्षा - प्रणाली — Defective education System

(10) मनोवैज्ञानिक कारक – Psychological Factor

प्रारम्भ से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है तथा महिलाओं को उनकी प्रत्येक बात का पालन परमेश्वर की भाँति स्वीकार करना चाहिए। समाज भी पारम्परिक रूढ़ी का रूप ऐसी मान्यताओं को प्रदान करता है जिनके द्वारा पुरुष शासित रहता है। अकेली स्त्री को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं और स्त्रियाँ ...

लैंगिक विभेदों को समाप्त करने के उपाय
Measures to End Gender Discrimination

भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि दर्ज की जा रही है लेकिन इनके विभेदों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी चिन्ताजनक है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्द्धसरकारी तथा समाज सेवी उपक्रमों द्वारा किये जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लायी जा सके। लैंगिक विभेदों के कारण स्त्री-पुरुष अनुपात की खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है।

लैंगिक विभेदों को कम करने तथा धीरे-धीरे उनको समाप्त करने के लिए निम्नांकित उपायों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत

किया जा सकता है जो निम्नवत है —

(1) जन-शिक्षा का प्रसार (Dissemination of Mass-Education)

वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के-लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सकें। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी चलाने की नहीं दी जाती थी तो माना जाता था कि ये कार्य नहीं कर सकती ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा जागरूकता आयी है और भी लायी जानी चाहिए। जिससे लोग यह समझ सकें कि स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता। व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं।

(2) जागरूकता लाना - Bring awareness

भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। इसी कारण स्त्री-पुरुषों में वर्षों से चली रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है। जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता लाने के वर्तमान में तमाम साधन हैं — exp. T.V, Radio, Mobile, Internet, News paper etc. जिससे लोगों को लड़का-लड़की के घटते अनुपात तथा उनके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। लिंगीय विभेद के कारण लड़का-लड़की अनुपात में आ रही कमी के दुष्परिणाम —

(i) परिवार की अपूर्णता (ii) स्त्री नहीं होगी तो पुरुष का भी कोई महत्व नहीं होगा (iii) स्त्रियों की संख्या धीरे-धीरे समाप्त हो गयी तो सृष्टि का चलना भी सम्भव नहीं होगा।

③ भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन (Strict Provisions to Prevent Feticide and Adherence – भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है ऐसा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है लेकिन मूर्त रूप से निजी क्लीनिकों पर भ्रूण परीक्षण और गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्या गर्भ में करने का धंधा खूब फल-फूल रहा है। यह छोटे कस्बों और शहरों की अपेक्षा राजधानियों और महानगरों में अत्याधिक है। कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति भारत में भयावह है इसे रोकने के लिए प्रावधानों का पालन क[illegible]

④ बालिका शिक्षा का प्रसार – (Dissemination of girl child education
जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहाँ बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी-लिखी लड़की घर-परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, लड़कियाँ शिक्षित होकर स्वयं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी करती हैं। जिससे [illegible] में कमी आती है

⑤ शिक्षा-प्रणाली में सुधार – Education System Reform –
भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी नकल कर रही है, भारतीय शिक्षा भारतीय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं जैसे- अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य गतिहीन तथा उबाऊ शिक्षण विधियाँ, विद्यालयों में बालिकाओं के साथ भेद-भाव व्यवहार, पढ़ाई का वास्तविक जीवन से सम्बद्ध न होना इत्यादि। इसका समाधान इस प्रकार किया जाना चाहिए। ① शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

⑥ सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक (Stop Social Misconducts)

समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, विधवा-विवाह निषेध, कन्या भ्रूण हत्या आदि प्रचलित है। जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। इसलिए इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में अनेक प्रयास जैसे- शारदा एक्ट द्वारा बाल-विवाह पर रोक, राजाराम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का समापन, संविधान द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण आदि के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। अनेक प्रकार के भ्रान्तियों का निराकरण करके पुरुष के समान स्थान समाज में दिलाकर लिंग-भेद को समाप्त किया जा सकता है।

⑦ सुरक्षात्मक वातावरण (Protective Environment)

बालक तथा बालिका के लिंग में इसलिए भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे-जैसे वृद्धि होती है वैसे-वैसे माता-पिता को उनकी चिन्ता सताने लगती है। क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत में आये दिन- बलात्कार, छीटाकशी, एसिड फेकने जैसी घटनायें महिला के साथ घट रही है।

⑧ प्रशासनिक प्रयास (Administrative effort)

जो भी नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसे चिकित्सालयों, व्यक्तियों तथा क्लिनिकों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा इनकी मान्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेदों को कम करने हेतु साहसी और प्रतिभावान महिलाओं तथा

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings

बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जनसामान्य की बालिकाओं के विषय में धारणा परिवर्तित हो सके।

(09) संवैधानिक उपचार → (Constitutional Remedies)

9.00
10.00 भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा उनकी समता के लिए 11.00 अनेक धाराओं तथा अनुच्छेदों का निर्धारण किया गया है, तथा संविधान में 12.00 स्त्री-पुरुष में कोई भेद-भाव नहीं किया गया है।

1.00 मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतना ही बालिकाओं को भी प्राप्त है और 2.00 महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए उन्नति के लिए विशेष प्रयास किये जाने के उपबन्ध 3.00 भी किये गये हैं।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष 4.00 प्रावधान बनाये गये हैं तथा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

5.00 भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के गरिमामयी जीवन की प्रतिबद्धता जताता है, 6.00 जिसमें महिलायें सम्मिलित हैं। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किये गये हैं, लेकिन 7.00 इन उपचारों के विषय में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है। इस प्रकार (अतः) इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है।

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

अन्य उपाय –

महिलाओं की बराबरी हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपाय किये जा रहे हैं। मानव अधिकारों के चार्टर की धारा 55 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद-भाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी अनुपालन और सम्मान को बढ़ावा देना।

10 दिसम्बर को सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसमें लिंगीय भेदभावों को समाप्त करने के कार्य पर भी बल दिया जा रहा है। धारा 16 के द्वारा पुरुषों की भाँति, स्त्रियों को भी विवाह करने या न करने तथा जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के बन्धन से रहित होकर पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकने का अधिकार है।

1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया तथा स्त्रियों की समानता, संघटन और विश्व-शांति में उनकी भूमिका के सम्मान की बात प्रबलता से रखी गयी।

सितम्बर 1995 में चीन के बिजिंग नामक नगर में चौथा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया।

(U.N. Declaration of Human Rights) की धारा २K में उल्लेखित है कि प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उद्धृत मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का हकदार है। इसलिए उन्हें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राजनीति मतों द्वारा अलग नहीं

किया जा सकता है।

Conclusion (निष्कर्ष)

स्वतन्त्र भारत में लिंगीय विभेदों को पाटने तथा इन खाइयों को भरने की दिशा में प्रकार के तमाम कार्य किये जा रहे हैं, परन्तु जमीनी कार्यों की आवश्यकता अत्यधिक है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में लिंग तथा सामाजिक खाइयों को भरने हेतु सारगर्भित सुझाव दिये गये हैं। आयोगों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी लैंगिक विभेद को समाप्त करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है।

महिला समाख्या, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, महिलाओं से सम्बन्धित कानून, विवाह की आयु का निर्धारण, कन्या धन योजना, साइकिल वितरण, पढ़ाई हेतु छात्रावास की व्यवस्था। बालिका होने पर प्रोत्साहन राशि, महिला ऋण में ब्याज दर की कमी इत्यादि इन सभी प्रयासों के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव में कमी तभी हो सकती है।

जब समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदले और सभी क्षेत्रों में वे घर से जब बाहर निकलें तो बाहर की सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन हो तभी इसका समापन हो सकता है।

Important Calls | Things to Do | Meetings